

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)-4/2011 DATED 12/01/2012 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Government of Himachal Pradesh  
Department of Town & Country Planning

No: TCP-A(3)-4/2011

Dated:

Shimla

2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 and Rule-4 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify various services, authorities & time limits in respect of Town & Country Planning Department under the Act as under:-

Sr. No.	Name of Service/ Public Service	Designated Officer	Format of the application to obtain service.	List of documents required to service.	Person who can request for service	Time limit for service.	First Appellate Authority	Remarks
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Certificate that land is not in Planning/ Special Area.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deputy Commissioner, Kangra, Chamba &amp; Kullu vested with the powers of Director, TCP.</li> <li>Chairman, Special Area Development Authorities vested with the powers of Director, TCP.</li> <li>Chief Executive Officer, BBNDAs vested with the</li> </ul>	On plain paper indicating details of land.	Revenue papers of the land.	Any Person	3 working days	Director (TCP)	No fee

		<p>powers of Director, TCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioner, Municipal Corporation Shimla being Chairman of Single Umbrella Committee.</li> <li>• Town and Country Planner/Assistant Town Planner/Planning Officer of the District.</li> <li>• Executive Officers of Municipal Committees vested with the powers of Director, TCP.</li> </ul>						
2.	Change of land use.	Same as above.	Form-X as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978.	As prescribed in Form-X under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978.	Owner of the Land	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978. * **
3.	Development permission.	Same as above.	Form-XI as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978.	As prescribed in specification sheet of Form-XI under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978.	Owner of the Land	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978. * **

4.	NOC for release of basic services.	Same as above	On plain paper.	Permission No. and date vide which development permission was granted.	Person to whom permission was granted.	15 days	Director (TCP)	No Fee.
5.	Complaint regarding detection of unauthorised construction / deviation from approved plan & action thereof.	Same as above	On plain paper.	Location of unauthorised construction and name of the person.	Any person.	30 days	Director (TCP)	No Fee.
6.	Supplying copy of record.	Same as above	On plain paper. (As per Rule-15-A of H.P. TCP Rules, 1978)	Details of the record required.	Any person.	7 days	Director (TCP)	Fee as prescribed under Rule 15-(2) of HPTCP Rules, 1978.
7.	Composition of offences.	Same as above	Form – XVII-D (As per Rule 19-E of H.P. TCP Rules, 1978)	As prescribed under Form XVII-D of Rule 19-E of H.P. TCP Rules, 1978.	Applicant who has carried out deviations from the approved map.	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 19(E) of HPTCP Rules, 1978.

\* The time limit shall apply if case received is in order.

\*\* In case there are shortcomings in the case time limit shall vary accordingly.

The request for service on the application/form prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Form-1 prescribed in Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules, 2011. All designated officers

are required to issue order for authorized person and display the same in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An Appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An Appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who is the second Appellate Authority.

By Order

Principal Secretary (TCP) to the  
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No. TCP-A(3)-4/2011 Dated: Shimla 12/01/2012.

Copy is forwarded to the following for information :-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP.
2. The Secretary (AR) to the Govt. of HP.
3. The Deputy Commissioner, Kangra, Chamba and Kullu, Himachal Pradesh.
4. The Chairman, Special Area Development Authorities, Shogi, Kufri, Ghanahti, Hatkoti, Sarahan, Kandaghat, Barog, Chail, Jabli, Harat, Paonta-Sahib, Trilokpur, Una, Chintpurni, Baba-Balalknath, Ner-Chowk, Solang, Rohtang, Manikaran, Naggar, Pongdam, Chamunda, Garli-Pragpur, Bir-Billing, Khajjiar, Bharmour, Pangi(Killar), Chamera, Reckong-Peoo, Kaza, Kaylong, Tabo and Udaipur.
5. CEO, BBND, Jharmajri, Baddi, H.P.
6. Director, Town & Country Planning Department, HP, Shimla-9.
7. Director, Urban Development Department, Palika Bhawan, HP, Shimla-2.
8. JLR-cum-Joint Secretary(Law Opinion) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
9. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-171001.
10. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Dharmshala, Hamirpur, Kullu, Mandi, Nahan and Solan.
11. The Assistant Town Planner/Planning Officers, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, Chamba, Parwanoo, Rampur and Una.
12. The Executive Officer, Municipal Council, Rampur, Solan, Parwanoo, Nalagarh, Nahan, Paonta Sahib, Hamirpur, Chamba, Una, Mandi and Bilaspur.
13. Guard File.

Sd/-

Under Secretary (TCP) to the  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टीसीपी-ए(3)-4/2011

तारीख

शिमला

12.01.2012.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन नगर एवं ग्राम योजना विभाग की बाबत विभिन्न सेवाओं, प्राधिकारियों और समय सीमा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती हैं:-

1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-
1.	प्रमाण पत्र कि भूमि योजना/ विशेष क्षेत्र में नहीं है।	1 उपायुक्त, कांगड़ा, चम्बा और कुल्लू जिनको निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां प्रदत्त की गई है। 2 अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसको निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां प्रदत्त की गई है। 3 मुख्य कार्यकारी	सादे कागज पर भूमि के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए।	भूमि के राजस्व दस्तावेज	कोई भी व्यक्ति	3 कार्य दिवस	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।

		<p>अधिकारी, बीबीएनडीए जिसको निदेशक नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं</p> <p>4 आयुक्त, नगर निगम, शिमला (सिंगल अम्ब्रेला) समिति का अध्यक्ष होते हुए।</p> <p>5 नगर एवं ग्राम योजनाकार/ सहायक नगर योजनाकार/ जिला का योजना अधिकारी।</p> <p>6 नगर पालिका समितियों के कार्यकारी अधिकारी जिनको निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां प्रदत्त की गई है।</p>						
2.	भू-उपयोग का परिवर्तन।	-यथोपरि-	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन यथाविहित फार्म-X।	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन	भूमि का स्वामी	60 दिन	सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के

				फार्म-X में यथाविहित ।				नियम 12 के अधीन यथाविहित फीस । * **
3.	विकास अनुज्ञा	-यथोपरि-	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन यथाविहित फार्म-XI ।	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन फार्म-XI के विनिर्देश पत्र में यथाविहित ।	भूमि का स्वामी	60 दिन	सचिव (नगर एवं ग्राम योजना )	हिमाचल प्रदेश टारुन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रुल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन यथाविहित फीस । * **
4.	आधारभूत सेवाओं की निर्मुक्ति हेतु एनओसी ।	-यथोपरि-	सादे कागज़ पर ।	अनुज्ञा संख्या और तारीख जिसके द्वारा विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी ।	व्यक्ति जिसको अनुज्ञा प्रदान की गई थी ।	15 दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना )	कोई फीस नहीं ।
5.	अनधिकृत निर्माण/ अनुमोदित योजना से विचलन	-यथोपरि-	सादे कागज़ पर ।	अनधिकृत निर्माण की अवस्थिति और व्यक्ति का नाम ।	कोई भी व्यक्ति	30 दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना )	कोई फीस नहीं ।

	का पता चलने की बावत शिकायत और उस पर कार्रवाई।							
6.	अभिलेख की प्रति प्रदत्त करने के लिए।	—यथोपरि—	सादे कागज पर। (हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 15-A के अनुसार)	अपेक्षित अभिलेख के ब्यौरे।	कोई भी व्यक्ति	7 दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना )	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 15(2) के अधीन यथाविहित फीस।
7.	अपराधों का शमन	—यथोपरि—	फार्म—XVII—डी (हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 19-ई के अनुसार)	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 19-ई के फार्म XVII—डी के अधीन यथाविहित।	आवेदक जिसने अनुमोदित नक्शे से विचलन किया है।	60 दिन	सचिव ( नगर एवं ग्राम योजना )	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 19(ई) के अधीन यथाविहित फीस।

\* I e; I hek rHkh ykxw gksxh] ; fn i klr ekeyk fu; ekuq kj gS

\*\* ; fn ekeys ea dfe; ka gS rks I e; &I hek ea rnud kj Qj Qkj gksxA



आवेदन/विहित प्ररूप पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित, सेवा के लिए अनुरोध पदाविहित अधिकारी या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 में विहित प्ररूप-1 के अनुसार अभिस्वीकृति जारी की जाएगी। समस्त पदाभिहित अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे प्राधिकृत व्यक्ति को आदेश जारी करें और उसे अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना बोर्ड में प्रदर्शित करें।

कोई अपील धारा 6 के अधीन आवेदन की अस्वीकृति की तारीख या नियत समय-सीमाओं के अवसान से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जा सकती है।

प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, के समक्ष फाइल की जा सकती है।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव(नगर एवं ग्राम योजना)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: टीसीपी-ए(3)-4/2011

तारीख

शिमला

12.01.2012.

i frfyfi fuEufyf[kr dks l ipuk , oa vko' ; d dk; bkgf gsrq i f'kr %

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2 सचिव (प्रशासुधार) हि0प्र0 सरकार।
- 3 उपायुक्त, कांगडा, चम्बा और कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
- 4 अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शोधी, कुफरी, घणाहट्टी, हाटकोटी, सराहन, कण्डाघाट, बड़ोग, चायल, जाबली, हरड, पौंटा-साहिब, त्रिलोकपुर, ऊना, चिन्तपूर्णी, बाबा-बालकनाथ, नेर-चौक, सोलंग, रोहतांग, मनीकरण, नग्गर, पौंगडैम, चामूंडा, गरली-परागपुर, बीर-बिलिंग, खजियार, भरमौर, पांगी(किलाड), चमेरा, रिकांगपिओ, काज़ा, केलांग, ताबो और उदयपुर, हि0प्र0।
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झारमाजड़ी, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9।

- 7 निदेशक शहरी विकास विभाग, पालिका भवन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
- 8 आयुक्त, नगर निगम, शिमला-171001।
- 9 उप विधि परामर्शी एवम उप सचिव(विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
- 10 नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन और शिमला।
- 11 सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, बिलासपुर, चम्बा, परवाणु, रामपुर और ऊना।
- 12 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, रामपुर, सोलन, परवाणु, नालागढ़, नाहन, पौटा साहिब, हमीरपुर, चम्बा, ऊना, मण्डी और बिलासपुर।
- 13 संरक्षण नस्ति।

हस्ताक्षरित  
अवर सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।